चांदमल बनाम पार्वती प्र.नं. 55/20

| दिनांक | आज्ञा पत्र | |
|---|---|---|
| 3-3-25 | पत्रावली पेश। उभय पक्ष अनुपस्थित। वास्ते बहस दिनांक 19.3.25 को पेश हो।<br>मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर | |
| 19.3.25 | पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ के आव्हान कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.3.25 को पेश हो। | |
| 21.3.25 | पत्रावली पेश। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25.3.25 को पेश हो।<br>मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर | |
| 25.3.25 | पत्रावली पेश। दौरान-ए-... के कारण से आदेश नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 4.4.25 को पेश हो।<br>मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर | |
| 4.4.25 | स्वीकार/ख़ारिज<br>पत्रावील पेश । अपील अपीलांट........ स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।<br>C.A.<br>मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर<br>मू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर | मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर |

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 32/2020

1 बाबूलाल उम्र 52 साल पुत्र हनुमान जाति चेजारा निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर राज.। मो. नम्बर 9799060526

अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 3

बनाम

1 पार्वती उम्र 36 साल पत्नी जयप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी विजय विहार कॉलोनी पोलोग्राउण्ड सीकर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट/वादी

2 करण सिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद बिजली ग्रिड के पास हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।

3 चांदमल पुत्र गंगूराम जाति कुमावत निवासी मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।

4 जमना देवी पत्नी स्व. सुरजाराम

5 राजेन्द्र पुत्र स्व. सुरजाराम

6 जुगलकिशोर पुत्र स्व. सुरजाराम

समस्त जाति चेजारा निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।

7 बना पुत्र गंगू

8 गिरधारीलाल पुत्र सुरजाराम

9 नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम

10 मुन्नी देवी पुत्री सुरजाराम

समस्त जाति चेजारा निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।

11 तहसीलदार धोद जिला सीकर भूमिधारक।

12 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम नियमित अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अंतिम डिक्री एवं निर्णय दिनांक 03.02.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा आरएएस राजस्व वाद संख्या 168/2016 बउनवानी श्रीमती पार्वती बनाम करणसिंह आदि दावा बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अपील संख्या 55/2020

1 चांदमल पुत्र गंगूराम
2 बना पुत्र गंगू जाति कुमावत निवासी मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 पार्वती उम्र 36 साल पत्नी जयप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी विजय विहार कॉलोनी पोलोग्राउण्ड सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 करण सिंह पुत्र केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूजोद तहसील धोद जिला सीकर हाल आबाद बिजली ग्रिड के पास हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।
3 बाबूलाल उम्र 52 साल पुत्र हनुमान जाति चेजारा निवासी ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर राज.।
4 जमना देवी पत्नी स्व. सुरजाराम
5 राजेन्द्र पुत्र स्व. सुरजाराम
6 जुगलकिशोर पुत्र स्व. सुरजाराम
समस्त जाति चेजारा निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।
7 गिरधारीलाल पुत्र सुरजाराम
8 नेमीचन्द पुत्र सुरजाराम
9 मुन्नी देवी पुत्री सुरजाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति चेजारा निवासीगण ग्राम मण्डावरा तहसील धोद जिला सीकर।
10 तहसीलदार धोद जिला सीकर भूमिधारक।
11 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा हर्ष तहसील व जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 03.02.2020 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी सीकर पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा
आरएएस बउनवानी पार्वती बनाम करणसिंह आदि

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री गणपतलाल, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सांवरमल़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री सतीश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 168/2016 में पारित निर्णय दिनांक 03.02.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया पार्वती की ओर से दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम हर्ष की भूमि खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 के संदर्भ में विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 7 चांदमल व बना की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 8, 9, 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल की ओर से जवाब दावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई दिनांक 07.03.2017 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दिनांक 05.04.2017 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल की ओर से अपील संख्या 32/2020 प्रस्तुत की गई है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 7 चांदमल व बना की ओर से अपील संख्या 55/2020 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट चांदमल व बना ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 20.12.2019 को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति की, बहस सुनी जाकर आपत्ति आदेश हेतु तारीख 03.01.2020 दी गई। उक्त तारीख पर आपत्ति का आदेश न कर आगामी पेशी दी गई और दिनांक 03.02.2020 को आपत्ति का आदेश न कर वाद पत्र को ही अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री कर दिया गया। जबकि आदेशिका में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पत्रावली आपत्ति के आदेश में थी लेकिन विचारण न्यायालय ने आपत्ति का आदेश न कर वाद पत्र को अंतिम बहस सुने बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। विचारण न्यायालय ने दिनांक 21.12.2019 को विधिक आपत्ति पर बहस सुनी और दिनांक 03.02.2020 को वाद पत्र में ही निर्णय कर दिया गया। जबकि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई किये जाने के 30 दिवस के भीतर निर्ण किया जाना आज्ञापक है और 30 दिवस में निर्णय नहीं किया जावे तो उभयपक्षों को सम्यक सूचना देकर मामले में दुबारा बहस सुनकर ही निर्णय किया जाना चाहिए जबकि विद्वान विचारण न्यायालय ने 30 दिवस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

के पश्चात अर्थात 43 दिवस पश्चात वाद पत्र को निर्णित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जो दावा पेश किया था। उक्त वाद का अपीलान्ट ने दिनांक 10.01.2017 को जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश किया कि जमाबंदी में अंकित हक, हिस्से के अनुसार जवाबदाता का भी अलग–अलग बंटवारा किया जावे तथा अलग–अलग खसरा नम्बर डालकर अलग–अलग लगान निर्धारित किया जावें। उक्त जवाब दावा के साथ प्रस्तुत काउंटर क्लेम को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वीकार कर सहमति जाहिर की। जिस पर विचारण न्यायालय ने मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया जो दिनांक 04.01.2018 को प्राप्त हुआ। उक्त बंटवारा प्रस्ताव विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आपत्ति जाहिर की कि बंटवारा प्रस्ताव मौके के विपरित भेजा गया है। उक्त आपत्ति का अपीलान्ट को जवाब पेश करने का अवसर दिये बिना ही आपत्ति स्वीकार कर दुबारा से बंटवारा प्रस्ताव हेतू तहसीलदार को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार ने दुबारा से भेजे गये बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.04.2018 पर अपीलान्ट द्वारा आपत्ति पेश की गई कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके के विपरित भेजा गया है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अलावा अन्य किसी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है तथा उक्त बंटवारा में अपीलान्ट को भूमि भी रिकार्ड से कम दी गई है तथा अपीलान्ट का बंटवारा भी अलग अलग नहीं किया गया है। इस कारण उक्त बंटवारा प्रस्ताव को निरस्त कर दुबारा से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जावें। जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर किये बिना ही तथा जवाब दावा व काउंटर दावा का अवलोकन किये बिना ही दावे को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा (काउंटर क्लेम) को न तो स्वीकार किया तथा ना ही खारिज किया। प्रतिदावा का निर्णय ही नहीं किया गया जो कि विधिक त्रुटि है। विचारण न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है वह विभाजन प्रस्ताव नियमों के विरूद्ध है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 355 में से लम्बा पट्टी के रूप में एक टुकड़ी निकालकर खसरा नम्बर 356 में दर्शाई गई है। जबकि खसरा नम्बर 355 सम्पूर्ण पर अपीलान्ट का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा है। जिस पर उसने आवासीय मकानात बना रखे है तथा खसरा नम्बर 356 पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कब्जा है। तहसीलदार सीकर द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव मौके की वास्तविक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

स्थिति के विपरित होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित की है। कोविड–19 की वजह से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जावें।

इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता अपीलांट बाबूलाल ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया जावे तो वाद पत्र पर अंतिम रूप से सुनवायी ही नही हुई बल्कि विधिक आपत्ति आवेदन पर दिनांक 20.12.2019 को बहस सुनकर उक्त आवेदन के आदेश हेतु तारीख पेशी नियत की थी जिस पर आदेश नहीं सुनाया जाकर वाद पत्र को ही अंतिम रूप से डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय ने गणित की गड़बड़ की है तथा अपीलांट के कब्जा में मान्य किया गया खसरा नम्बर 356 का रकबा अपीलान्ट के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के अधिक होना बिना किसी आधार के अंकित कर दिया अर्थात विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र खसरा नम्बर 355 रकबा 1.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 356 रकबा 1.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 357 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 358 रकबा 0.43 हैक्टेयर के संबंध में था उक्त चारो खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल का कुल योग किया जावे तो क्षेत्रफल 3.05 हैक्टेयर बनता है जिसमें अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त 1/3 हिस्सा के अनुसार अपीलान्ट का हिस्सा 01.0166 हैक्टेयर बनता है जबकि खसरा नम्बर 356 का क्षेत्रफल 1.01 हैक्टेयर है जिसमें 0.02 हैक्टेयर भूमि रास्ता के लिए कम कर दी जावे तो क्षेत्रफल 0.99 हैक्टेयर ही शेष रहता है उक्त क्षेत्रफल अपीलांट का हिस्सा से भी कम क्षेत्रफल बनता है फिर भी किस गणित के आधार पर विचारण न्यायालय ने हिस्सा से अधिक रकबा का निष्कर्ष दे दिया, यह समझ से परे है। इसलिए विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष भी विधि विरूद्ध निष्कर्ष है। तहसीलदार के विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव कार्यालय में बैठकर तैयार किया है जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादिया के हस्ताक्षर के अलावा अन्य किसी भी सहखातेदार के हस्ताक्षर नहीं है ना ही उपस्थिति के संबंध में उक्त विभाजन प्रस्ताव में अंकन है फिर भी विचारण न्यायालय ने सुनवायी का अवसर दिया जाने का निष्कर्ष अंकित कर दिया जबकि विभाजन के संबंध में बने नियमों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सभी सहखातेदारान की उपस्थिति में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तैयार किय जाना व अलग–अलग कलर अंकित किया जाने का आज्ञापक कानूनी प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा (काउण्टर क्लेम) को ना तो स्वीकार किया, ना ही अस्वीकार किया अर्थात प्रतिदावा का निर्णय ही नहीं किया जो कि विधिक त्रुटि है। विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.04.2018 का अवलोकन किया जावे तो उक्त विभाजन प्रस्ताव नियम 20(ड़) के प्रावधानों के विपरित है अर्थात उक्त विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 का नक्शा तैयार किया है उक्त नक्शा में विभाजन की भूमि के कमांक 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, अंकित किये है उनमें लम्बी सकड़ी पट्टी के रूप में अंकित कम संख्या 2 खसरा नम्बर 355 का भाग है जो कि प्रतिवादी संख्या 2 व 7 बना, चांदमल के कब्जे में है तथा छोटे टुकड़े के रूप में नक्शा में दर्शाये कम संख्या 4 व 3 खसरा नम्बर 356 का हिस्सा है जो कि अपीलान्ट के कब्जे में है तथा कम संख्या 4 छोटे टुकड़े के रूप में अंकित स्थान पर अपीलान्ट का ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन एवं मकानात निर्मित है जिनसे अन्य सहखातेदारान का कोई संबंध नहीं है उक्त कम संख्या 4 को 0.06 हैक्टेयर का छोटा टुकड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5, 6, 8, 9, 10 को गलत रूप से दिया है एव कम संख्या 3 पर अंकित 0.07 हैक्टेयर का टुकड़ा खसरा नम्बर 356 में से कम करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बिना किसी आधार के दिया है। बंटवारा प्रस्ताव दिनांकित 12.04.2018 में कम संख्या 4 छोटे टुकड़े की भूमि में मकान, ट्यूबवैल कृषि व घरेलू विद्युत कनेक्शन को विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया बल्कि छुपाया है तथा मौका की वास्तविक स्थिति को प्रकट नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि बंटवारा प्रस्ताव दिनांकित 12.04.2018 सर्वथा गलत है जिसे निरस्त किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करके अथवा पूर्व के विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 04.01.2018 के अनुसार वाद पत्र एवं काउंटर वाद पत्र को डिक्री किया जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर चुनौतीग्रस्त डिक्री एवं निर्णय दिनांक 03.02.2020 को अपास्त किया जावे एवं अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम के अनुसार अपीलान्ट के पक्ष में विभाजन का अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करने की कृपा करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ग्राम हर्ष की भूमि खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 के संदर्भ में विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 7 चांदमल व बना की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 8, 9, 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल की ओर से जवाब दावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई दिनांक 07.03.2017 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दिनांक 05.04.2017 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल की ओर से अपील संख्या 32/2020 प्रस्तुत की गई है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 7 चांदमल व बना की ओर से अपील संख्या 55/2020 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.03.2017 एवं 05.04.2017 को किसी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपील संख्या 55/2020 में प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर ग्राम हर्ष की भूमि खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 के संदर्भ में विभाजन का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 व 7 चांदमल व बना की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 4, 6, 8, 9, 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल की ओर से जवाब दावा व काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई दिनांक 07.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

03.2017 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं दिनांक 05.04.2017 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी की गई। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल की ओर से अपील संख्या 32/2020 प्रस्तुत की गई है एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 7 चांदमल व बना की ओर से अपील संख्या 55/2020 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.03.2017 एवं 05.04.2017 को किसी पक्षकार ने चुनौती नहीं दी है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय में वादी, प्रतिवादी संख्या 2 व 7 एवं 3 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावे में विभाजन का अनुतोष ही चाहा गया है। विचारण न्यायालय की प्राथमिक डिक्री की पालना में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील संख्या 55/2020 के अपीलांट चांदमल व बना की अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

यहां यह अवश्य विचारणीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 355, 356, 357, 358 का नक्शा तैयार किया है उक्त नक्शा में विभाजन की भूमि के क्रमांक 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, अंकित किये है उनमें लम्बी सकड़ी पट्टी के रूप में अंकित कम संख्या 2 खसरा नम्बर 355 का भाग है जो कि प्रतिवादी संख्या 2 व 7 बना, चांदमल के कब्जे में है तथा छोटे टुकड़े के रूप में नक्शा में दर्शाये कम संख्या 4 व 3 खसरा नम्बर 356 का हिस्सा है जो कि अपीलान्ट बाबूलाल के कब्जे में होना कथित किया गया है तथा कम संख्या 4 छोटे टुकड़े के रूप में अंकित स्थान पर अपीलान्ट बाबूलाल का ट्यूबवैल विद्युत कनेक्शन एवं मकानात निर्मित होना कथित किया गया है जिनसे अन्य सहखातेदारान का कोई संबंध नहीं है उक्त कम संख्या 4 को 0.06 हैक्टेयर का छोटा टुकड़ा रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5, 6, 8, 9, 10 को गलत रूप से दिया है एव कम संख्या 3 पर अंकित 0.07 हैक्टेयर का टुकड़ा खसरा नम्बर 356 में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से कम करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिया है। बंटवारा प्रस्ताव दिनांकित 12.04.2018 में कम संख्या 4 छोटे टुकड़े की भूमि में मकान, ट्यूबवैल कृषि व घरेलू विद्युत कनेक्शन को विभाजन प्रस्ताव में दर्शाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव के कम संख्या 4 में निर्मित मकान, ट्यूबवैल विद्युत संबंध खसरा नम्बर 356 के संदर्भ में पुनः विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार करवाकर मौके की भौतिक स्थिति एवं नाप के अनुसार विभाजन का अनुतोष निर्णित करना न्यायोचित प्रतीत होता है। शेष विचाराधीन अंतिम डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील संख्या 55/2020 खारिज की जाती है एवं अपील संख्या 32/2020 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 356 में विभाजन प्रस्ताव के कम संख्या 4 में निर्मित मकान, ट्यूबवैल विद्युत संबंध की हद तक जारी विचाराधीन अंतिम डिक्री का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खसरा नम्बर 356 में विभाजन प्रस्ताव के कम संख्या 4 में निर्मित मकान, ट्यूबवैल विद्युत संबंध की हद तक वादी व अपीलांट बाबूलाल की उपस्थिति में इन से जुड़े समस्त दस्तावेज मंगवाकर, परिक्षण कर पुनः विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं द्वारा तैयार करवाकर मौके की भौतिक स्थिति एवं नाप के अनुसार गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। शेष अंतिम डिक्री यथावत रखी जाती है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व ... सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर